International Journal of Research in Economics and Social Sciences (IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 1, January- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

महिलाओं के आर्थिक विकास में स्वयं सहायता समूहों का योगदान

सतीष कुमार,
शोध–छात्र,
अर्थषास्त्र–**विभाग,**
बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय ,अस्थल बोहर, रोहतक (हरियाणा)

'' जब तक महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरेगी, तब तक इस दुनिया के कल्याण की कोई संभावना नहीं है।'' स्वामी विवेकानन्द

प्रस्तावना :–

महिला सषक्तिकरण की बात समाज में हमेषा से ही उठती रही है। महिला सषक्तिकरण का अर्थ सामान्य रूप में इस बात से लगाया जाता है कि महिलाओं को पुरूशों के समान सुदृढ़ किया जाना चाहिए। वास्तव में महिला सषक्तिकरण से अभिप्राय महिलाओं की बाह्य जीवन के साथ–साथ उनमें निहित अंतिर्निहित षक्तियों के परिश्कार और उनके संवर्धन से भी है जो उनके आत्मिक विकास का माध्यम बनती है। सषक्तिकरण वह है जो प्रत्येक महिला के जीवन को मूल्यों से अभिसंचित करके, उनके व्यक्तित्व का ऐसा परिश्कार करें, जिससे आध्यात्मिक दृश्टि के साथ–साथ उनमें जीवन के प्रति सही समझ आ सके और उन्हें अपने अस्तित्व का बोध हो सके।

देष में महिलाओं को सषक्त बनाने का मुख्य उद्देष्य यह भी है कि जो बेरोजगार महिलायें है उन्हें रोजगार के अवसर मिल सके तथा समजा में फैली हुई बेरोजगारी एवं गरीबी जैसी समस्याओं को दूर किया जा सके। भारतीय समाज में महिलाओं को सदैव ही षक्ति के रूप में सम्मान मिला है। इसलिये सरकार की ओर से निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि महिलाएँ स्वावलंबी बनें तथा इनका सम्मान भी बना रहे। महिलायें षहरी हो ग्रामीण उनकी आर्थिक स्थिति बदलने में उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता महत्वपूर्ण योगदान करती है। सरकार भी इस बात को अच्छी तरह जानती समझती है। इसी के मध्यनजर भारत सरकार ग्रमीण क्षेत्रों में महिलाओं को साक्षर करने के लिये विभिन्नय योजनाओं के द्वारा वित्त व्यवस्था के साथ साथ स्वंय सहायता समुह के माध्यम से रोजगार प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है।

महिला सषक्तिकरण से अर्थ :–

एक युग था जब नारी के विशय में कहा जाता था कि ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता'' अर्थात् जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवताओं का निवास होता है। फिर एक युग आयाा जब साहित्यकार कह उठे ''नारी तुम केवल श्रृद्धा हो, विष्वास रजत नग पद तल मे''। फिर युग में बदलाव आया और फिर

देखा गया कि भारतीय समाज में महिलायें एक लंबे समय से अवमानना, यातना और षोशण का षिकार रही हैं। उनकी इस स्थिति को देखते हुए राश्ट्रकवि मैथिलीषरण गुप्त की यह पंक्ति ''अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आँचल में दूध और आँखों में पानी'' चरितार्थ करती है, और आज भी कहीं कहीं आर्थिक स्वतंत्रता और विकास के इस दौर में सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं की आढ़ में नारी देवदासी और जोगिन के रूप में विद्यमान है, जो छेड़छाड़, बलात्कार, यौन षोशण, सामाजिक अन्याय एवं देहज जैसी कुरीतियों के कारण असुरक्षा, षर्म और अपमान तथा वेदना का जीवन जी रही है।

किन्तु आज बुद्धजीवियों ने नारी को अबला नहीं सबला माना है। क्योंकि नारी ने एक पुत्री, पत्नी, बहन और माँ के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के साथ–साथ विकास के दौर में एक सफल उद्यमी, चिकित्सक, इंजीनियर, आई.ए.एस./आई.पी.एस. के साथ–साथ देष की सुरक्षा व्यवस्था में सफल भूमिका का निर्वहन भी किया है। यह सब बदलते सामाजिक परिदृष्य का करिष्मा है जिसने महिलाओं की सुरक्षा के प्रति उठी आवाज के कारण उन्हें अबला से सबला बनाने का दृढ़ संकल्प लिया है।

महिला सषक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं की आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक षक्ति में वृद्धि करना। इसमें अक्सर सषक्तिकृत महिलाओं द्वारा अपनी क्षमता के दायरे में विष्वास का निर्माण षामिल करना है। सषक्तिकरण सम्भवतः निम्नलिखित या इसी प्रकार की क्षमताओं को मिलाकर बना है :

- स्वयं द्वारा निर्णय लेने की षक्ति होना,
- उचित निर्णय लेने के लिए जानकारी तथा संसाधनों की उपलब्धता हो,
- कई विकल्प उपलब्ध होना जिनसे आप सही, गलत का चुनाव कर सकें (केवल हां/नहीं, यह/वह ही नहीं)
- सामूहिक निर्णय के मामलों में अपनी बात बलपूर्वक रखने की समर्थता,
- बदलाव लाने की क्षमता पर सकारात्मक विचारों का होना,
- स्वयं की व्यक्तिगत या सामूहिक षक्ति बेहतर करने के लिए, कौषल सीखने की क्षमता
- दूसरों की विचारधारा को लोकतांत्रिक तरीके से बदलने की क्षमता
- विकास प्रक्रिया तथा चिरंतन व स्वयं की पहल द्वारा बदलावों के लिए भागीदारी
- स्वयं की सकारात्मक छवि में वृद्धि।

स्वयं सहायता समूह :–

जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि 'स्वयं सहायता समूह' अंग्रेजी के तीन षब्दों ैमस भ्मसच ळतवनचष से मिलकर बना है ैमस इसका मतलब हम खुद अर्थात् अपने आप, स्वयं को बताया गया है। व्यक्ति स्वयं अपने ऊपर निर्भर है और अपना काम करे। और भ्मसच जिसका अर्थ है मदद् करना, मदद्

स्वयं तथा दूसरे की भी हो सकती है इसी प्रकार ळतवनच जिसका अर्थ है कि एक निष्चित संख्या के लोग एक निष्चित उद्देष्य की पूर्ति के लिये नियमानुसार एकत्र होकर व मिलकर कोई कार्य करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते है कि 'स्वयं सहायता समूह' से तात्पर्य है कि अपनी मदद् या सहायता एक दूसरे से लेकर खुद आपस में करने को 'स्वयं सहायता समूह' कहते है।

स्वयं सहायता समूह एक ऐसा संगठन है जिसमें पाँच से बीस सदस्य स्वेच्छा से एक दूसरे की मदद् करने के उद्देष्य से संगठित होते हैं।

राकेष मल्होत्रा।

षोध के उद्देष्य :–

1. स्वयं सहायता समूह में षामिल महिला सदस्यों में आपसी मदद एवं सहायोग की भावना का अध्ययन।
2. स्वयं सहायता समूहों में षामिल महिला सदस्यों के बचत, समूहों के लिए धन एंव ऋण के पुनर्भुगतान के प्रबन्धन का अध्ययन
3. स्वयं सहायता समूहों में षामिल महिला सदस्यों के आर्थिक लाभ का विष्लेशण।
4. स्वयं सहायता समूहों में षामिल महिला सदस्यों के द्वारा आर्थिक विकास सम्बन्धी निर्णय लेने की क्षमता का अध्ययन।
5. स्वयं सहायता समूहों के संचालन में महिलाओं को आने वाली समस्याओं का अध्ययन।

षोध अध्ययन का क्षेत्र :–

षोधार्थी द्वारा षोध अध्ययन का क्षेत्र हरियाणा प्रान्त चुना गया है क्योंकि षोधार्थी हरियाणा प्रान्त का निवासी है। षोधार्थी द्वारा षोध अध्ययन का क्षेत्र हरियाणा प्रान्त इसलिए भी चुना गया क्योंकि षोधार्थी यह जानना चाहता है महिलाओं के आर्थिक विकास में आने वाली जो समस्यायें है उन्हें कैसे कम किया जा सकता है तथा उनका आर्थिक विकास कैसे किया जा सकता है।

महिलाओं के आर्थिक विकास में आने वाली जो समस्यायें है उन्हें कैसे कम किया जा सकता है तथा उनका आर्थिक विकास कैसे किया जा सकता है। प्राथमिक स्त्रोत से आकड़े एकत्रित करके फतेहाबाद, हिसार एवं सिरसा जिलों में कार्यरत स्वयं सहायता में षामिल महिलाओं के सामाजिक, षैक्षणिक, आवासीय, वैवाहिक स्थिति, उनकी बचत की जानकारी, ऋण स्त्रोत एवं ऋण की मात्रा, ऋण की वापसी की प्रक्रिया समूह की गतिविधियों में भागीदारी, उद्यमषील गतिविधियों के किए प्राप्त प्रषिक्षण और समूह के सामने आने वाली कठिनाईयों का अध्ययन किया गया है। षोधार्थी द्वारा निर्धारित किये गये उद्देष्यों का अध्ययन करने के लिए नमूना प्रणाली द्वारा तीनों जिलों में कार्यरत 28 समूह सहायता समूह में से 305 महिला सदस्यों को दैव निदर्षन विधि के द्वारा चयन किया गया है।

उत्तरदाताओं की आयु

क्रम संख्या	आयु (वर्शों में)	सदस्यों की संख्या	प्रतिशत
1.	18–25	40	13.11
2.	26–35	91	29.84
3.	36–45	94	30.82
4.	46–से ऊपर	80	26.23
	योग	305	100

स्त्रोतः व्यक्तिगत सर्वे के आधार पर

उपर्युक्त तालिका से स्पश्ट होता है कि सर्वेक्षण महिला स्व–सहायता समूहों की महिलाओं में से 13.11 प्रतिषत महिलाएँ 18–25 आयु वर्ग की, 29.84 प्रतिषत महिलाएँ 26–35 आयु वर्ग की, 30.82 प्रतिषत महिलाएँ 36–45 आयु वर्ग की, 26.23 प्रतिषत महिलाएँ 46 से ऊपर वर्ग की है।

उत्तरदाताओं का धर्म

क्रम संख्या	धर्म	सदस्यों की संख्या	प्रतिशत
1.	हिन्दू	275	90.16
2.	मुस्लिम	9	02.95
3.	सिक्ख	20	06.56
4.	ईसाई	1	00.33
	योग	305	100

स्त्रोतः व्यक्तिगत सर्वे के आधार पर

उपर्युक्त तालिका से स्पश्ट होता है कि सर्वेक्षित महिला स्व–सहायता समूहों की महिलाओं में से 90.16 प्रतिषत महिलाएँ हिन्दू धर्म की, 02.95 प्रतिषत महिलाएँ मुस्लिम धर्म की, 06.55 प्रतिषत महिलाएँ सिक्ख धर्म की, 00.33 प्रतिषत महिलाएँ ईसाई धर्म से ताल्लुक रखती है।

उत्तरदाताओं की जाति

क्रम संख्या	जाति	सदस्यों की संख्या	प्रतिशत
1.	सामान्य	44	14.43
2.	अनुसूचित जाति	189	61.97
3.	पिछड़ा वर्ग	72	23.60
	योग	305	100

स्त्रोतः व्यक्तिगत सर्वे के आधार पर

उपर्युक्त तालिका से स्पश्ट होता है कि सर्वेक्षित महिला स्व–सहायता समूहों की महिलाओं में से 14.43 प्रतिषत महिलाएँ सामान्य वर्ग की, 61.97 प्रतिषत महिलाएँ, अनुसूचित जाति की, 23.60 प्रतिषत महिलाएँ पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखती है।

उत्तरदाताओं का शैक्षिक स्तर

क्रम संख्या	षिक्षा	सदस्यों की संख्या	प्रतिशत
1.	निरक्षर	132	43.28

2.	प्राथमिक	67	21.97
3.	माध्यमिक	33	10.82
4.	उच्च माध्यमिक	51	16.72
5.	वरिश्ठ माध्यमिक	10	03.28
6.	स्नातक	11	03.60
	परास्नातक	1	00.33
	योग	305	100

स्त्रोतः व्यक्तिगत सर्वे के आधार पर

उपर्युक्त तालिका से स्पश्ट होता है कि सर्वेक्षित महिला स्व–सहायता समूहों की महिलाओं में से 43.28 प्रतिषत महिलायें निरक्षर है तथा 21.97 प्रतिषत महिलाओं ने प्राथमिक स्तर तक षिक्षा प्राप्त की है, 10.82 प्रतिषत महिलाओं ने माध्यमिक स्तर तक षिक्षा प्राप्त की है, 16.72 प्रतिषत महिलाओं ने उच्च माध्यमिक स्तर तक षिक्षा प्राप्त की है, 03.28 प्रतिषत महिलाओं ने वरिश्ठ माध्यमिक, 03.60 प्रतिषत महिलाओं ने स्नातक और 0.33 प्रतिषत महिलाओं ने प्रास्नातक स्तर तक षिक्षा प्राप्त की है।

उत्तरदाताओं की व्यावसायिक संरचना

क्रम संख्या	अभिमत	सदस्यों की संख्या	प्रतिशत
1.	मजदूरी	39	12.78
2.	सिलाई	30	09.84
3.	पार्लर	10	3.28
4.	डिस्पोजल कटोरी	28	9.18
5.	सैनेटरी नेपकीन	29	9.51
6.	पषुपालन	52	17.05
7.	दुकान	20	6.55
8.	दरी बनाना	29	9.51
9.	मिट्टी के बर्तन	03	0.98
10.	सब्जी का काम	08	2.62
11.	बाजरे के लड्डू	42	13.77
12.	रेहड़ी लगाना	02	0.66
13.	काठ के मणके	12	3.93
14	बकरी पालन	01	0.33
	योग	305	100

स्त्रोतः व्यक्तिगत सर्वे के आधार पर

उपर्युक्त तालिका से स्पश्ट होता है कि सर्वेक्षित महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं में से 12.78 प्रतिषत महिलायें मजदूरी करती है, 09.84 प्रतिषत महिलायें सिलाई कार्य करती है, 3.28 प्रतिषत महिलायें पार्लर चलाती है, 9.18 प्रतिषत महिलायें डिस्पोजल कटोरी बनाने का कार्य करती है, 9.51 प्रतिषत महिलाये सैनेटरी नेपकीन बनाने का काम करती है, 17.05 प्रतिषत महिलायें पषुपालन का कार्य करती है, 06.55 प्रतिषत महिलायें अपनी दुकान चलाती है, 09.51 प्रतिषत महिलायें दरी बनाने का कार्य करती है 0. 98 प्रतिषत महिलायें मिट्टी के बर्तन बनाती है, 2.62 प्रतिषत महिलायें जमीन पट्टे पर लेकर सब्जी का कार्य करती है, 13.77 प्रतिषत महिलायें बाजरे के लड्डू बनाने का कार्य करती है, 0.66 प्रतिषत महिलायें अपने पति के साथ रेहड़ी लगाने के कार्य में हाथ बंटाती है, 3.93 प्रतिषत महिलायें काठ के मणके बनने का कार्य करती है, और 0.33 प्रतिषत महिलायें बकरी पालन कार्य करती है।

उत्तरदाताओं की मासिक आय

क्रम संख्या	मासिक आय	संख्या	प्रतिशत
1.	0–3000	17	5.57
2.	3001–5000	118	38.69
3.	5001–7000	82	26.88
4.	7001–9000	56	18.36
5.	9000 से ऊपर	32	10.50
6.	योग	305	100

स्त्रोतः व्यक्तिगत सर्वे के आधार पर

उपर्युक्त तालिका से स्पश्ट होता है कि सर्वेक्षित महिला स्वयं सहायता समूह में षामिल 5.57 प्रतिषत महिलाओं की मासिक आय 0 से 3000 रूपये है, 38.69प्रतिषत महिलाओं की मासिक आय 3001 से 5000 रूपये है, 26.88 प्रतिषत महिलाओं की मासिक आय 5001 से 7000 रूपये है, 18.36 प्रतिषत महिलाओं की मासिक आय 7001 से 9000 रूपये है और10.50 प्रतिषत महिलाओं की मासिक आय 9000 रूपये से ऊपर है।

उत्तरदाताओं के परिवार की वार्शिक आय

क्रम संख्या	वार्शिक आय	सदस्यों की संख्या	प्रतिशत
1.	10000–50000	06	01.97
2.	50001–75000	108	35.41
3.	75001–100000	92	30.16
4.	100001–125000	67	21.97
5.	125000 से ऊपर	32	10.49
6.	योग	305	100

स्त्रोतः व्यक्तिगत सर्वे के आधार पर

उपर्युक्त तालिका से स्पश्ट होता है कि सर्वेक्षित महिला स्वयं सहायता समूह में षामिल 01.97 प्रतिषत महिलाओं के परिवार की वार्शिक आय 10000 से 50000 रूपये है, 35.41 प्रतिषत महिलाओं के परिवार की वार्शिक आय 50001 से 75000 रूपये है, 30.16 प्रतिषत महिलाओं के परिवार की वार्शिक आय 75001 से 100000 रूपये है, 21.92 प्रतिषत महिलाओं के परिवार की वार्शिक आय 100001 से 125000 रूपये है, 10.49 प्रतिषत महिलाओं के परिवार की वार्शिक आय 50000 रूपये से ज्यादा है।

उत्तरदाताओं द्वारा समूह में प्रति माह जमा की जाने वाली राषि

क्रम संख्या	जमा राषि (रुपयों में)	सदस्यों की संख्या	प्रतिशत
1.	100	52	17.05
2.	150	33	10.82
3.	200	146	47.86
4.	400	53	17.38
5.	500	21	06.89
6.	योग	305	100

स्त्रोतः व्यक्तिगत सर्वे के आधार पर

उपर्युक्त तालिका से स्पश्ट होता है कि सर्वेक्षित महिला स्वयं सहायता समूह में षामिल 17.05 प्रतिषत महिलाओं द्वारा समूह में 100/– रूपये प्रतिमाह जमा किये जाते है, 10.82 प्रतिषत महिलाओं द्वारा समूह में 150/– रूपये प्रतिमाह जमा किये जाते है, 47.86 प्रतिषत महिलाओं द्वारा समूह में 200/–

रूपये प्रतिमाह जमा किये जाते है, 17.38 प्रतिषत महिलाओं द्वारा समूह में 400/– रूपये प्रतिमाह जमा किये जाते है और 06.89 प्रतिषत महिलाओं द्वारा समूह में 500/– रूपये प्रतिमाह जमा किये जाते है।

उत्तरदाताओं की बैंक से ऋण लेने की स्थिति

क्रम संख्या	अभिमत	सदस्यों की संख्या	प्रतिशत
1.	हां	118	38.69
2.	नहीं	187	61.31
3.	योग	305	100

स्त्रोतः व्यक्तिगत सर्वे के आधार पर

उपर्युक्त तालिका से स्पश्ट होता है कि सर्वेक्षित महिला स्वयं सहायता समूह में षामिल 38.69 प्रतिषत महिलाओं द्वारा बैंक से ऋण लिया गया है और 61.31 प्रतिषत महिलाओं द्वारा बैंक से ऋण नहीं लिया गया है।

उत्तरदाताओं के बैंक ऋण की उद्देष्य के आधार पर स्थिति

क्रम संख्या	व्यवसाय का नाम	सदस्यों की संख्या	प्रतिशत
1.	सिलाई	20	6.56
2.	दुकान	15	4.92
3.	गृह कार्य	20	6.56
4.	बच्चों की षिक्षा	03	0.98
5.	पषुपालन	26	8.52
6.	लकड़ी का व्यवसाय	03	0.98
7.	वाहन खरीदने हेतु	09	2.95
8.	पार्लर	08	2.62
9.	पुराना ऋण भुगतान हेतु	01	0.33
10.	जमीन पट्टे पर लेने हेतु	05	1.64
11.	लकड़ी के मनके	08	2.62
	योग	118	38.68

स्त्रोतः व्यक्तिगत सर्वे के आधार पर

उपरोक्त तालिका से स्पश्ट होता है कि सर्वेक्षित महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं में से 06.56 प्रतिषत महिलाओं के द्वारा बुटीक खोलने के लिए ऋण, 4.92 प्रतिषत महिलाओं द्वारा दुकान, 6.56 प्रतिषत महिलाओं द्वारा गृह कार्य, 9.98 प्रतिषत महिलाओं द्वारा बच्चों की षिक्षा, 8.52 प्रतिषत महिलाओं द्वारा पषुपालन, 0.98 प्रतिषत महिलाओं द्वारा लकड़ी के व्यवसाय के लिए, 02.95 प्रतिषत महिलाओं द्वारा वाहन खरीदने हेतु, 2.62 प्रतिषत महिलाओं द्वारा पार्लर, 0.33 प्रतिषत महिलाओं द्वारा पुराने ऋण के भुगतान हेतु, 1.64 प्रतिषत महिलाओं द्वारा जमीन पट्टे पर लेकर सब्जी उत्पादित करने और 2.62 प्रतिषत महिलाओं द्वारा लकड़ी के मनके बनाने के व्यवसाय हेतु बैंक से ऋण लिया गया है।

उत्तरदाताओं को ऋण देने वाली संस्था के आधार पर विषलेशण

क्रम संख्या	ऋण देने वाली संस्था	सदस्यों की संख्या	प्रतिशत
1.	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक	207	67.87
2.	भारतीय स्टेट बैंक	84	27.54
3.	पंजाब नैषनल बैंक	14	04.59
4.	योग	305	100

स्त्रोतः व्यक्तिगत सर्वे के आधार पर

उपरोक्त तालिका से स्पश्ट होता है कि सर्वेक्षित महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं में से 67.87 प्रतिषत महिलाओं का बचत खाता सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, 27.54 प्रतिषत महिलाओं का बचत खाता भारतीय स्टेट बैंक और 04.59 प्रतिषत महिलाओं का बचत खाता पंजाब नैषनल बैंक में है और इन्हीं तीन संस्थाओं द्वारा 38.68 प्रतिषत महिलाओं को विभिन्न व्यवसाय हेतु ऋण प्रदान किया गया है।

उत्तरदाताओं के बैंक ऋण की स्थिति

क्रम संख्या	ऋण की राषि (रुपये में)	सदस्यों की संख्या	प्रतिशत
1.	10000–20000	20	6.55
2.	20001–30000	28	9.18
3.	30001–40000	21	6.89
4.	40001–50000	22	7.21
5.	50001–60000	12	3.93
6.	60001–70000	06	1.97
7.	70001–80000	01	0.33
8.	80000 से ऊपर	08	2.62
9.	योग	118	38.68

स्त्रोतः व्यक्तिगत सर्वे के आधार पर

उपरोक्त तालिका से स्पश्ट होता है कि सर्वेक्षित महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं में से 6.55 प्रतिषत महिलाओं द्वारा 10000–20000 रुपये, 9.18 प्रतिषत महिलाओं द्वारा 20001–30000 रुपये, 06. 89 प्रतिषत महिलाओं द्वारा 30001–40000 रुपये, 7.21 प्रतिषत महिलाओं द्वारा 40001–50000 रुपये, 3.93 प्रतिषत महिलाओं द्वारा 50001–60000 रुपये, 1.97 प्रतिषत महिलाओं द्वारा 60001–70000 रुपये, 0.33 प्रतिषत महिलाओं द्वारा 70001–80000 रुपये और 2.62 प्रतिषत महिलाओं द्वारा 80000 रुपये से ज्यादा का बैंक से ऋण लिया गया है।

उत्तरदाताओं द्वारा ऋण पूनर्भुगतान की स्थिति

क्रम संख्या	अभिमत	सदस्यों की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	116	38.03
2.	नहीं	02	0.65
3.	योग	118	38.68

स्त्रोतः व्यक्तिगत सर्वे के आधार पर

उपरोक्त तालिका से स्पश्ट होता है कि सर्वेक्षित महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं में से 38.03 प्रतिषत महिलाओं द्वारा ऋण पूर्नभुगतान कर दिया गया है और 0.65 प्रतिषत महिलाओं द्वारा ऋण का पूर्नभुगतान समय पर नहीं किया गया।

उत्तरदाताओं द्वारा ऋण पूनर्भुगतान न करने के आधार पर विषलेशण

क्रम संख्या	अभिमत	सदस्यों की संख्या	प्रतिशत
1.	समय पर बचत का ना होना	01	0.33
2.	धन की आकस्मिक कमी	01	0.33
3.	योग	02	0.66

स्त्रोतः व्यक्तिगत सर्वे के आधार पर

उपर्युक्त तालिका से स्पश्ट होता है कि सर्वेक्षित महिला स्वयं सहायता समूह में षामिल 0.33 प्रतिषत महिलाओं द्वारा ऋण का पूर्नभुगतान समय पर बचत नहीं होने के कारण एवं 0.33 प्रतिषत महिलाओं द्वारा ऋण का पूर्नभुगतान धन की आकस्मिक कमी के कारण नहीं किया गया है।

स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा वर्श में बैठक के आयोजन का विवरण

क्रमांक संख्या	अभिमत	सदस्यों की संख्या	प्रतिषत
1.	साप्ताहिक	216	70.82
2.	मासिक	89	29.18
	योग	305	100

स्त्रोतः व्यक्तिगत सर्वे के आधार पर

उपर्युक्त तालिका से स्पश्ट होता है कि सर्वेक्षित महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं में से 70.82 प्रतिषत महिलाओं के अनुसार स्वयं सहायता समूह की बैठक सप्ताह में एक बार होती है। 29.18 प्रतिषत महिलाओं के अनुसार स्वयं सहायता समूह की बैठक महीने में एक बार होती है।

स्वयं–सहायता समूह के सदस्यों द्वारा बैठक में चर्चा के विशय के आधार पर विवरण

क्रमांक संख्या	अभिमत	सदस्यों की संख्या	प्रतिशत
1.	व्यवसाय के विकास के बारे में	143 (305)	46.88
2.	सदस्यों की बीच आपसी भाईचारा बढ़ाने के बारे में	305 (305)	100
3.	नये व्यवसाय की षुरूआत करने के बारे में	162 (305)	53.12
4.	समूह के सदस्यों को समूह/बैंक से ऋण प्रदान करने के बारे में	305 (305)	100
5.	सामाजिक बुराई के विशय में	305 (305)	100

स्त्रोतः व्यक्तिगत सर्वे के आधार पर

उपर्युक्त तालिका क्रमांक 7.6 से स्पश्ट होता है कि सर्वेक्षित महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं में से 46.88 प्रतिषत महिलाओं के अनुसार व्यवसाय के विकास के बारे में चर्चा की जाती है सभी महिलाओं के अनुसार सदस्यों के बीच आपसी भाईचारा बढ़ाने के विशय में चर्चा की जाती है, 53.12 प्रतिषत महिलाओं के बारे में नये व्यवसाय की षुरूआत करने के बारे में चर्चा की जाती है, सभी महिलाओं के अनुसार समूह के सदस्यों को समूह एवं बैंक से ऋण प्रदान करने के बारे में चर्चा की जाती है। सभी महिलाओं द्वारा ग्रामीण स्तर पर सामाजिक कुरीतियों के विरूद्ध आवाज बुलन्द करने के बारे में चर्चा की जाती है।

उत्तरदाताओं की समूह से लिये गये ऋण के आधार पर स्थिति

क्रम संख्या	ऋण की राषि (रुपये में)	सदस्यों की संख्या	प्रतिशत
1.	लोन नहीं लिया	39	12.79
2.	0–10000	59	19.34
3.	10001–20000	59	19.34
4.	20001–30000	34	11.16
5.	30001–40000	35	11.47
6.	40001–50000	30	09.84
7.	50001–60000	18	05.90
8.	60001–70000	14	04.59
9.	70001–80000	05	01.64
10.	80000 से ऊपर	12	03.93
	योग	305	100

स्त्रोतः व्यक्तिगत सर्वे के आधार पर

उपर्युक्त तालिका से स्पश्ट होता है कि सर्वेक्षित महिला स्वयं सहायता समूह में षामिल 12.79 प्रतिषत महिलाओं द्वारा समूह से कोई ऋण नहीं लिया गया है, 19.34 प्रतिषत महिलाओं द्वारा 10000 रुपये तक का ऋण, 19.34 प्रतिषत महिलाओं द्वारा 10001–20000 रुपये, 11.16 प्रतिषत महिलाओं द्वारा 20001–30000 रुपये, 11.47 प्रतिषत महिलाओं द्वारा 30001–40000 रुपये, 09.84 प्रतिषत महिलाओं द्वारा 40001–50000 रुपये, 05.90 प्रतिषत महिलाओं द्वारा 50001–60000 रुपये, 04.59 प्रतिषत महिलाओं द्वारा 60001–70000 रुपये, 01.64 प्रतिषत महिलाओं द्वारा 70001–80000 रुपये और 03.93 प्रतिषत महिलाओं द्वारा समूह से 80000 रुपये से ज्यादा का ऋण लिया गया है।

उत्तरदाताओं के समूह ऋण की उद्देष्य के आधार पर स्थिति

क्रम संख्या	अभिमत	सदस्यों की संख्या	प्रतिशत
1.	सिलाई	20	6.55
2.	पार्लर	10	3.28
3.	डिस्पोजल कटोरी	23	7.54
4.	सैनेटरी नेपकीन	28	9.18
5.	पषुपालन	51	16.72
6.	दुकान	20	6.56
7.	दरी बनाना	20	6.56
8.	मिट्टी के बर्तन	03	0.98
9.	सब्जी का काम	08	2.62
10.	बाजरे के लड्डू	42	13.77
11.	रेहड़ी लगाना	02	0.65
12.	बकरी पालन	01	0.33
13.	गाड़ी खरीदने के लिये	13	4.26
14	बच्चों की षिक्षा	10	3.28
15	काठ के मणके	12	3.93
16	लकड़ी का व्यवसाय	03	0.98
		266	87.21

स्त्रोतः व्यक्तिगत सर्वे के आधार पर

उपर्युक्त तालिका से स्पश्ट होता है कि सर्वेक्षित महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं 06.55 प्रतिषत सिलाई कार्य, 3.28 प्रतिषत महिलायें पार्लर, 7.54 प्रतिषत महिलायें डिस्पोजल कटोरी बनाने, 9.18 प्रतिषत महिलाये सैनेटरी नेपकीन बनानै, 16.72 प्रतिषत महिलायें पषुपालन, 6.56 प्रतिषत महिलायें अपनी दुकान, 6.56 प्रतिषत महिलायें दरी बनाने, 0.98 प्रतिषत महिलायें मिट्टी के बर्तन बनाने, 2.62 प्रतिषत महिलायें जमीन पट्टे पर लेकर सब्जी का कार्य, 13.77 प्रतिषत महिलायें बाजरे के लड्डू बनाने, 0.65 प्रतिषत महिलायें अपने पति के साथ रेहड़ी लगाने के कार्य, 3.93 प्रतिषत महिलायें काठ के मणके बनने का कार्य करती है, और 0.33 प्रतिषत महिलायें बकरी पालन का कार्य करती है।

स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का आर्थिक विकास पर प्रभाव का विष्लेशण

क्रम संख्या	अभिमत	हाँ	प्रतिशत
1.	बचत की आदत में परिवर्तन	280 (305)	91.80
2.	सूदखोरों पर निर्भरता में कमी	292 (305)	95.73
3.	ऋण प्रबन्धन के संबंध में बेहतर निर्णय लेने की क्षमता में परिवर्तन	266 (305)	87.21
4.	पारिवारिक आय में वृद्धि करने की क्षमताओं का विकास	266 (305)	87.21
5.	स्वरोजगार की क्षमता का विकास	89 (305)	29.18
6.	बैक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने की क्षमता में विकास	118 (305)	38.68
7.	व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा	266 (305)	87.21
8.	ऋण के पुनर्भुगतान करने की स्थिति में सुधार	303 (305)	99.34
9.	आत्म निर्भरता की भावना का विकास	305 (305)	100
10.	स्व–रोजगार पैदा करने की क्षमता का विकास	89 (305)	29.18
11.	परिवार की मासिक आय में वृद्धि	305 (305)	100
12.	परिवार में महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने में भागीदारी	266 (305)	87.21
13.	स्व–निर्णय लेने की क्षमता का विकास	266 (305)	87.21
14	परिवार की आर्थिक आवष्यकता की पूर्ति	305 (305)	100

स्त्रोतः व्यक्तिगत सर्वे के आधार पर

उपर्युक्त तालिका से स्पश्ट होता है कि सर्वेक्षित महिला स्वयं सहायता समूह में षामिल 91.80 प्रतिषत महिलायें आर्थिक रूप से सषक्त हुई है। 95.73 प्रतिषत महिलाएँ ने बताया कि सूदखोरों पर निर्भरता में कमी हुई है। 87.21 प्रतिषत महिलाओं ने बताया कि ऋण प्रबन्धन के संबंध में बेहतर निर्णय लेने की क्षमता में परिवर्तन हुआ है। 87.21 प्रतिषत महिलाओं ने बताया कि पारिवारिक आय में वृद्धि करने की क्षमताओं का विकास हुआ है। 29.18 प्रतिषत महिलाओं के अनुसार स्वरोजगार की क्षमता में वृद्धि हुई है। 38.68 प्रतिषत महिलाओं ने बताया कि बैक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने की क्षमता में विकास हुआ है। 87.21 प्रतिषत महिलाओं ने बताया कि व्यवसायिक गतिविधियों की क्षमता में विकास हुआ है। 99.34 प्रतिषत महिलाओं ने बताया की ऋण पूर्नभुगतान की स्थिति में सुधार हुआ है। सभी महिलाओं ने बताया की स्वंय सहायता समूह की सदस्या बनने के बाद उनमें आत्मनिर्भता की भावना का विकास हुआ है। सभी महिलाओं के अनुसार परिवार की वार्शिक आय में वृद्धि हुई है। 87.21 प्रतिषत महिलाओं के अनुसार परिवार के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भागीदारी हुई है। 87.21 प्रतिषत महिलाओं के अनुसार अपने व्यवसाय का निर्णय लेने की क्षमता का विकास हआ है। सर्वेक्षित सभी महिलाओं का मत है कि स्वय. सहायता समूह की सदस्या बनने के बाद परिवार की सभी आवष्यकताओं की पूर्ति हुई है।

स्वयं सहायता समूह के संचालन में आनी वाली कठिनाइयां

क्रम संख्या	अभिमत	सदस्यों की संख्या	प्रतिशत
1	उचित रिकार्ड एवं लेखा ज्ञान की कमी	132 (305)	43.29
2	समय पर सभी सदस्यों द्वारा बचत करने की समस्या	10 (305)	3.29
3	समूह कोश में कम जमा होने के कारण सदस्यों अपर्याप्त ऋण	305 (305)	100
4	समूह के सदस्यों को अपर्याप्त प्रषिक्षण	248 (305)	81.31
5	तैयार माल के रख–रखाव की समस्या	119 (305)	39.02
6	तैयार माल के परिवहन की समस्या	119 (305)	39.02
7	तैयार माल का उचित मूल्य न मिलना	119 (305)	39.02

स्त्रोतः व्यक्तिगत सर्वे के आधार पर

उपर्युक्त तालिका से स्पश्ट होता है कि सर्वेक्षित महिला स्वयं सहायता समूह में षामिल 43.29 प्रतिषत महिलाओं को निरक्षरता के कारण रिकॉर्ड एवं लेखा ज्ञान की कमी है। 3.29 प्रतिषत महिलाओं के अनुसार सदस्यों में बचत की कमी है। सभी महिलाओं ने बताया की समूह में कम जमा होने के कारण अपर्याप्त ऋण की समस्या है। 81.31 प्रतिषत महिलाओं के अनुसार स्व–रोजगार के लिए प्रषिक्षण की कमी है। 39.02 प्रतिषत महिलाओं के अनुसार तैयार माल के रख–रखाव, परिवहन की समस्या एवं तैयार माल का उचित मूल्य ना मिलने के कारण सदस्यों की आमदनी कम है।

प्रस्तुत षोध में महिलाओं के आर्थिक विकास में स्वयं सहायता समूह के योगदान का विष्लेशणात्मक अध्ययन किया गया है। स्वयं सहायता समूह की अवधारणा ''एकता में बल'' की कहावत को चरितार्थ करती है। जिस प्रकार मामूली धागों से बनी रस्सी महाषक्तिषाली गजराज को बांध सकती है। उसी प्रकार आर्थिक कमजोर लोग आपस में संगठित होकर ''निर्धनता के दुश्चक्र'' को तोडकर अपने विकास की कहानी लिख सकते है।

महिलाओं के आर्थिक विकास का तात्पर्य है कि महिलाओं को सम्पूर्ण मानव अधिकार पुरूशों के बराबर मात्रा में मिले ताकि उनको सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकास के सामान अवसर प्राप्त हो। उनकी तार्किक, वैज्ञानिक एवं विष्लेशणात्मक क्षमता का विकास हो ताकि वे समाज में एक सम्मानित स्थान प्राप्त कर सके और प्रत्येक क्षेत्र में निर्णायक भूमिका अदा कर सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- प्रो. वषिश्ठ सरिता : महिला सषक्तिकरण, के.के. पबल्किेषन्स, नई दिल्ली
- पुरूवा साहनी प्रतिभा : महिला सषक्तिकरण और स्वयं सहायता समूह, अंकुर बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली।
- त्रिपाठी मधुसूदन : स्वयं सहायता समूह और महिलाएं, खुषी पब्लिकेषन्स, गाजियाबाद।

- मिश्रा कुमारी अपेक्षा : सागर जिले मे महिला सषक्तिकरण एक अध्ययन, अप्रकाषित पी एच डी. षोध–प्रबंध, डॉ. हरिसिंह गौर केन्द्रीय विष्वविद्यालय, सागर।
- मिश्र कान्तेष्वर कुमार : महिलाओं के सामाजिक एवं राजनीतिक सषक्तिकरण में स्वसहायता समूह की भूमिका का विष्लेशणात्मक अध्ययन, अप्रकाषित पी एच डी. षोध प्रबंध, पं0 रविषंकर षुक्ल विष्वविद्यालय, रायपुर।
- खरे रजनी, श्रीवास्तव राजेष (2015) : महिलाओं के आर्थिक विकास में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका, त्मेमंतबी श्रवनतदंस व िडंदंहमउमदजए ेवबपवसवहल ंदक भ्नउंदपजपमेण
- सिंह संतोश कुमार (2015) : महिला सषक्तिकरण एवं सरकारी प्रयास, कुरुक्षेत्र हिन्दी मासिक पत्रिका।
- गोयल एल० सी० (2015) : दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, कुरुक्षेत्र हिन्दी मासिक पत्रिका।
- कुमार गौरव (2015) : महिला सषक्तिकरण के लिए "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" योजना, कुरुक्षेत्र हिन्दी मासिक पत्रिका।